



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-27102023-249760  
CG-GJ-E-27102023-249760

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 732]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 अक्टूबर, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन)  
विनियम, 2023

सं. आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी042.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

(1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा;

(2) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 5 के उप-विनियम (7) के खंड (ख) में, "विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर" शब्दों का विलोप किया जाएगा।

3. विनियम 5 के उप-विनियम (7) के खंड (ख) में, "भारतीय रिजर्व बैंक" के बाद, "और" शब्द को "या" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. विनियम 5 में, उप-विनियम (8) के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -  
 “(9) इन विनियमों के विनियम 10, 11, 12 और 13 में निहित कोई भी बात डीटीए में प्रतिधारित प्रीमियम का निवेश करने वाले आईआईओ पर लागू नहीं होगी, यदि निवेश आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियमन, 2018 के विनियमन 5 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए किया जाता है।  
**स्पष्टीकरण-** ऐसे निवेश का तरीका और विधि इन विनियमों के अनुसार होगी;”
5. विनियम 20 में, शब्द "निरसन और व्यावृत्ति" को "कुछ नियमों और व्यावृत्तियों की अप्रयोज्यता:" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./514/2023-24]

**नोट:** अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022 को 13 जनवरी, 2023 को अधिसूचना संख्या ईएफएससीए//2022-23/जीएनआरईजी030 के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY  
 NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 25th October, 2023

**International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) (Amendment) Regulations, 2023**

**No. IFSCA/2023-24/GN/REG042.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations to amend the International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) Regulations, 2022 namely:-

**1. Short title and commencement:-**

- (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) (Amendment) Regulations, 2023;
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the clause (b) of sub-regulation (7) of regulation 5, the words “on Foreign Portfolio Investment,” shall be omitted.

3. In the clause (b) of sub-regulation (7) of regulation 5, after “Reserve Bank of India”, the word “and” shall be substituted with the word “or”.

4. In the regulation 5, after sub-regulation (8) the following shall be inserted, namely -

“(9) Nothing contained in Regulations 10, 11, 12 and 13 of these regulations shall be applicable to an IIO investing its retained premium in DTA, if the investment is done to comply with the condition specified under sub-clause (b) of clause (A) of sub-regulation (2) of regulation 5 of the IRDAI (Re-insurance) Regulation, 2018.

**Explanation** – The mode and manner for such investments shall be in accordance with these regulations;”

5. In regulation 20, the words “Repeals and Savings:” shall be substituted with words “Non-applicability of certain regulations and savings:”

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./514/2023-24]

**Note :** The International Financial Services Centres Authority (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2022-23/GN/REG030 on 13<sup>th</sup> January, 2023.